न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 165/2015
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती वंदना गुप्ता उम्र 44 वर्ष आत्मजा श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल पत्नी श्री पी.के. गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी एच एच फार्म श्रीगंगानगर द्वारा मुख्तायारआम श्री सुरेन्द्र कुमार आत्मज श्री लभूराम अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी एच एच फार्म श्रीगंगानगर।

..वादिया

बनाम

1. अशोक कुमार आत्मज नत्थूराम जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर बी/126 पंचशील एन्कलेव गेट नम्बर 2 नई दिल्ली– 11110017
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर
3. श्रीमती प्रवीण गुप्ता आत्मजा नत्थूराम पत्नी अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी चक 8 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री काशीराम रिणवा (वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–2)

दिनांक 14/2/18

।। निर्णय ।।

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 8 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 13/9 मुरब्बा नम्बर 31, 32, 43, 59 एवं 60 की कुल 17545 हैक्टर कृषि भूमि श्री अशोककुमार आत्मज श्री नत्थूराम के साथ प्रतिवादी संख्या 3 की कुल 6.463 हैक्टर सहखातेदार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने मुख्तयार आम श्री अशोककुमार आत्मज श्री नत्थूराम के माध्यम से, अपने सहखातेदार की पूर्ण एवं स्वतन्त्र सहमति से, पंजीबद्व दो विकय विलेख दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा संयुक्त खाता संख्या 13/9 मुरब्बा नम्बर 43 को श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल आत्मज श्री लभूराम, चक 8 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को विकय कर विकयाधीन कृषि भूमि का कब्जा सौंप दिया गया. जिसका संयुक्त खातेदारी में ही नामान्तरकरण संख्या 282 दिनांक 21 मई, 2012 दर्ज किया गया. राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार चक 1 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 6/7 के मुरब्बा नम्बर 8 व 9 की कुल 12.65 हैक्टर कृषि भूमि में से वादिया कुल 6.325 हैक्टर की सहखातेदार द्वारा अपने हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार मुरब्बा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नम्बर 8 के किला नम्बर 2 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल आत्मज श्री लभूराम, चक 8 ए छोटी के संयुक्त खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 31,32,43 एवं 59 में से उनके द्वारा क्रय किये गये मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के साथ तबादला किया गया. जिसकी बाबत तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 को स्वीकृति प्राप्त की गयी. जिसके परिणामतः वादिया चक 8 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदार है किन्तु स्वीकृत एवं पंजीबद्व तबादला के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया. वर्तमान में तबादला में प्राप्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में ही चली आ रही है. संयुक्त खाता की कृषि भूमि का सह खातेदार श्री अशोककुमार की सहमति से ही, मुख्तयार आम श्री अशोककुमार के माध्यम से ही मुरब्बा नम्बर 43 पंजीबद्व विक्रय विलेखों के माध्यम से विक्रय किया गया था. जिसके अनुसार श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल मुरब्बा नम्बर 43 का खातेदार हो गया था. श्री सुरेन्द्रकुमार द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 के परिदृश्य तबादलानामा दिनांक 21 अगस्त, 2012 के अनुसार वादिया मुरब्बा नम्बर 43 की खातेदार है जो कि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है. इस प्रकार वादिया मुरब्बा नम्बर 43 की अपने नाम पर खातेदारी घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेखों में पृथक से दर्ज करवाने की अधिकारिणी है. चक 8 ए छोटी के खाता संख्या 13/9 मुरब्बा नम्बर 43 संयुक्त खातेदारी में होने के कारण भूमि पर सुधार कार्य, विभिन्न साधनों से ऋण प्राप्त करने एवं कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने में बाधा उत्पन्न हो रही है ऐसी स्थिति में, वादिया तबादला में प्राप्त चक 8 ए छोटी के खाता संख्या 13/9 मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का पृथक खाता कायम करवाने की अधिकारिणी है. यदि चक 8 ए छोटी के खाता संख्या 13/9 मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के खाता पृथक करने के विकल्प स्वरूप संयुक्त खाता का विभाजन कर मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि वादिया प्राप्त करने की अधिकारिणी है. जिसके लिये वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कथन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा टालमटोल करते हुऐ दिनांक 10 अक्तूबर, 2015 को साफ इन्कार हो गया. यही वादहेतुक उपलब्ध है. इस प्रकार वादिया द्वारा चक 8 ए छोटी के संयुक्त खाता संख्या 13/9 मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के लिये वादिया को खातेदार घोषित किा जाकर पृथक खाता कायम करने तथा विकल्प स्वरूप संयुक्त खाता संख्या 13/9 मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि को विभाजन में देकर राजस्व अभिलेखो में दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में दस्तावेज बैयनामा दिनांक 11 मई, 2012, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 11 मई, 2012, चक 1 ई छोटी की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 8 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के राजस्व अभिलेख

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, पंजीकृत दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 7 अगस्त, 2012, कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश कमांक भू.अ./तबादलानामा/2010 /2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 एवं पंजीबद्व मुख्तयारनामा आम दिनांक 11 नवम्बर, 1991 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर वादिया द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 22 फरवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 श्री अशोककुमार की तलबी हेतु दो बार पंजीबद्व सम्मन भिजवाये जाने पर भी तामील नहीं हुई इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 की तामील हेतु सम्मन दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित करवाये जाने न्यायहित में आवश्यक एवं उचित हैं इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 श्री अशोककुमार आत्मज श्री नत्थूराम, अग्रवाल, मकान नम्बर बी/126 पंचशील एन्कलेव गेट नम्बर 2 नई दिल्ली– 11110017 की तामील हेतु जारी सम्मन दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी में प्रकाशित करवाने का निवेदन किया गया. आदेश दिनांक 13 अप्रेल, 2016 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु जारी सम्मन दैनिक पंजाब केसरी दिनांक 5 मई, 2016 को प्रकाशित करवाये गये. नियमानुसार निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उपस्थिति नही दिये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 10 जून, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 09 अगस्त, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विनिमय 6.325 हैक्टर का संयुक्त खातेदारी में से हुआ है. मुरब्बा नम्बर 43 चक नम्बर 8 ए छोटी संयुक्त खातेदारी दर्ज है. विक्रय पत्र संयुक्त भूमि में से एक व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया है जो नियमानुसार सही नहीं है. वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. अतः राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. आया वादिया तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 ए छोटी के मुरब्बा नमबर 43 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार कृषक होने की घोषणा करवा कर रिकार्ड में अंकन करवाने विकल्प में उक्त भूमि विभाजन में प्राप्त करने की अधिकारी है? **– वादिया**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

2. आया संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से विशेष भूमि मुरब्बा नम्बर 43 का बेचान हुआ होने के कारण बेचान गलत है? — **प्रतिवादी**

3. आया संयुक्त खाते की भूमि में से किया गया विनिमय गलत है? — **प्रतिवादी**

साक्ष्य वादी में सुरेन्द्र कुमार आत्मज लभूराम अग्रवाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे जिरह की गयी. वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये. अतः साक्ष्य पूर्ण की गयी.

अधिवक्ता वादिया द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 10 फरवरी, 2017 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि चक 8 ए छोटी के खाता संख्या 13/9 में श्रीमती प्रवीण गुप्ता आत्मजा श्री नत्थूराम धर्मपत्नी श्री अशोककुमार के नाम पर 6.463 हैक्टर कृषि भूमि थी जिसमें से उसके द्वारा 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय विलेखों दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा श्री सुरेन्द्र अग्रवाल आत्मज श्री लभूराम को विक्रय कर कब्जा सौप दिया गया था. जिसे केता श्री सुरेन्द्रकुमार द्वारा वादिया की अन्य खातेदारी भूमि के साथ विनिमय दिनांक 7 अगस्त, 2012 को किया जाकर दस्तावेज तबादलानामा पंजीबद्ध करवाया गया इस प्रकार श्रीमती प्रवीण गुप्ता द्वारा उक्तानुसार अपने संयुक्त खाता की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि विक्रय करने के बाद उसके नाम पर 0.138 हैक्टर कृषि भूमि शेष रही. इस सीमा तक इस खाता का एक हिस्सेदार रह गया. विचाराधीन वाद कृषि भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है. श्रीमती प्रवीण गुप्ता एक छोटे हिस्सा की हिस्सेदार होने के बावजूद भी एक आवश्यक पक्षकार रह जाती है. वाद प्रस्तुत करते समय सहवन से श्रीमती प्रवीण गुप्ता को पक्षकार बनाया जाना रह गया. इस कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रीमती प्रवीण गुप्ता को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है. इस प्रकार श्रीमती प्रवीण गुप्ता आत्मजा श्री नत्थूराम धर्मपत्नी श्री अशोककुमार अग्रवाल, चक 8 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 45 साकेत, मेरठ को प्रतिपक्षकार बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2017 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार करते हुऐ श्रीमती प्रवीण गुप्ता आत्मजा श्री नत्थूराम धर्मपत्नी श्री अशोककुमार अग्रवाल, चक 8 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 45 साकेत, मेरठ को प्रतिपक्षकार संख्या 3 स्थापित किया गया.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 3 की तलबी हेतु जारी सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर पंजीकृत सम्मन दिनांक 29 अगस्त, 2017 को पंजीबद्व करवाये गये जो कि गांव में निवास नहीं करने की टिप्पणी सहित अदम तामील प्राप्त हुऐ. जिस पर वादिया अधिवक्ता द्वारा ट्रेक कन्साईनमेन्ट रसीद प्रस्तुत की गयी. जिससे अवधारणा स्थापित होती है कि प्रतिवादी संख्या 3 की तलबी हो गयी है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 के उपस्थित नहीं आने पर बार बार आवाजें लगवाये जाने पर भी सांय 5.30 तक उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 09 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

अधिवक्ता वादिया एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवालेकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – आया वादिया तहसील श्रीगंगानगर के चक 8 ए छोटी के मुरब्बा नमबर 43 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार कृषक होने की घोषणा करवा कर रिकार्ड में अंकन करवाने विकल्प में उक्त भूमि विभाजन में प्राप्त करने की अधिकारी है? – **वादिया**

राजस्व अभिलेखानुसार चक 8 ए छोटी के संयुक्त खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 31,32,43,59 एवं 60 में से कुल 6.463 हैक्टर कृषि भूमि की संयुक्त खातेदार श्रीमती प्रवीण गुप्ता आत्मजा श्री नत्थूराम धर्मपत्नी श्री अशोककुमार द्वारा सह खातेदार श्री अशोककुमार की सहमति से श्री अशोककुमार को ही मुख्तयारआम नियुक्त कर मुख्तयारआम के माध्यम से अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय दो पंजीबद्व विक्रय विलेखों दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल को किया गया. जिसे क्रेता द्वारा वादिया की चक 1 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 6/7 के मुरब्बा नम्बर 8 व 9 की कुल 12.65 हैक्टर कृषि भूमि में से सहखातेदार द्वारा अपने हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार वादिया की मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 2 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के साथ पंजीबद्व अभिलेख तबादलानामा दिनांक 7 अगस्त, 2012 द्वारा विनिमय किया गया जिसके लिये तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी अपने आदेश क्रमांक 2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 द्वारा नियमानुसार स्वीकृति दी गयी. यथा तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 भी दस्तावेज तबादलानामा के साथ पंजीबद्व करवाया गया है. ऐसी स्थिति में, वादिया विनिमय में प्राप्त चक 8 ए छोटी के संयुक्त खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

की घोषणा करवा कर राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवाने की अधिकारिणी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादिया के पक्ष में विनिश्चत किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – आया संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से विशेष भूमि मुरब्बा नम्बर 43 का बेचान हुआ होने के कारण बेचान गलत है?

– प्रतिवादी

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार यह तथ्य सही है कि चक 8 ए छोटी के संयुक्त खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 31,32,43,59 एवं 60 में से कुल 6.463 हैक्टर कृषि भूमि की संयुक्त खातेदार श्रीमती प्रवीण गुप्ता आत्मजा श्री नत्थूराम धर्मपत्नी श्री अशोककुमार द्वारा सह खातेदार श्री अशोककुमार की सहमति से श्री अशोककुमार को ही मुख्तयारआम नियुक्त कर मुख्तयारआम के माध्यम से अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 43 के 6. 325 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय दो पंजीबद्व विक्रय विलेखों दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल को किया गया. यहां यह तथ्य अंकित किये जाने भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 के अनुसार संयुक्त खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 31,32,43,59 एवं 60 में से कुल 6.463 हैक्टर कृषि भूमि में श्री अशोककुमार आत्मज श्री नत्थूराम 11.078 हैक्टर एवं श्रीमी प्रवीण गुप्ता आत्मजा श्री नत्थूराम धर्मपत्नी श्री अशोककुमार 6.463 हैक्टर कृषि भूमि के मात्र दोनों ही सहखातेदार हैं तथा परस्पर भाई–बहिन हैं तथा भूमि का विक्रय सह खातेदार श्री अशोककुमाार ही श्रीमती प्रवीण गुप्ता द्वारा मुख्तयारआम नियुक्त कर सह खातेदारों की परस्पर सहमति से विक्रय किया गया है ऐसी स्थिति में, पारिवारिक समझौता के अनुसार सह खातेदार द्वारा दूसरे सह खातेदार की सहमति से किया गया विक्रय किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – आया संयुक्त खाते की भूमि में से किया गया विनिमय गलत है? **– प्रतिवादी**

वादिया की द्वारा 1 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 6/7 के मुरब्बा नम्बर 8 व 9 की कुल 12. 65 हैक्टर कृषि भूमि में से सहखातेदार द्वारा अपने हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार वादिया की मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 2 से 25 कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का विनिमय चक 8 ए छोटी के संयुक्त खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि के स्वामी श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल के साथ किया जाकर जहां निष्पादित दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 7 अगस्त, 2012 कार्यालय उप पंजीयक, श्रीगंगानगर में पंजीबद्व करवाया गया है वहीं तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी अपने आदेश

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

क्रमांक 2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 द्वारा नियमानुसार विनिमय की स्वीकृति दी गयी. ऐसे स्पष्ट अभिलेखों के परिदृश्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये विनिमय को गलत नहीं कहा जा सकता. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार पंजीबद्व दस्तावेज तबादलानामा एवं सक्षम अधिकारी तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 के परिदृश्य वादिया चक 8 ए छोटी के संयुक्त खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है.

।। निर्णय ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा पंजीबद्व दस्तावेज तबादलानामा एवं सक्षम अधिकारी तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2999 दिनांक 21 अगस्त, 2012 के परिदृश्य वादिया **श्रीमती वन्दना गुप्ता आत्मजा श्री सुरेन्द्रकुमार अग्रवाल धर्मपत्नी श्री पी.के. गुप्ता को** – चक 8 ए छोटी के खाता संख्या 13/9 के मुरब्बा नम्बर 43 के 6.325 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय अधिवक्ता वादिया एवं पैरोकार राज के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 14/2/18 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर.